

25.6.24

पञ्चम पत्र 32

प्रति वही 34.1

पञ्चम वारं नमो रिपोर्ट एवं रिजल्टिंग इत्यादि
बिना ही मिति 18-7-24 को पत्र

(4)


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

18.7.24

पञ्चम पत्र 32

प्रति वही 34.1

पञ्चम वारं नमो रिपोर्ट एवं रिजल्टिंग इत्यादि
बिना ही मिति 20.8.24 को पत्र है।



उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

20.8.24

पञ्चम पत्र 32

प्रति वही 34.1

पञ्चम वारं नमो रिपोर्ट एवं रिजल्टिंग इत्यादि
बिना ही मिति 26.9.24 को पत्र है।


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

26.9.24

पञ्चम पत्र 32

प्रति वही 34.1

पञ्चम वारं नमो रिपोर्ट एवं रिजल्टिंग इत्यादि
बिना ही मिति 29.10.24 को पत्र है।


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

29.10.24

पञ्चम पत्र 32

प्रति वही 34.1

पञ्चम वारं नमो रिपोर्ट एवं रिजल्टिंग इत्यादि
पञ्चम पत्र 5.12.24 को पत्र है।


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



188/2022

05-12-2024

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार उप।

मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल हो।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड व दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवचेन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन पत्र के जरिये पक्षकारान के मध्य तरमीम दुरुस्तीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की इस्तदुआ में अपने कब्जे काशत के तर्क प्रस्तुत करते हुए तदनुसार शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन में पाया गया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में तकासमा किये जाने हेतु भरे गये ना.क.स. या राजस्व रेकॉर्ड में यह प्रथम दृष्टया साबित करने में विफल रहे हैं कि पक्षकारान के मध्य कब्जा काशत की स्थिति में भिन्नता किस स्तर से की गई है। नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम दुरुस्तीकरण में ऑनलाईन (सेग्रीकेशन) अथवा ऐसी कोई प्रविष्टियां जो कि नियमानुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरुस्ती योग्य प्रकरण उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार होने की स्थिति में संबंधित परगना अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) द्वारा सुना जा सकता है, परन्तु ऐसे मामलों जो कि बिना किसी ठोस कारणों/ बिना दस्तावेजी साक्ष्य-सबूतों के किसी भी पूर्व पारित आदेश/ निर्णय को सुना जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, ऐसे किसी भी प्रकरण के संबंध में रेकॉर्ड दुरुस्ती हेतु विधिवत रूप से सक्षम न्यायालय में जरिये चुनौती के प्रतिपादित की जाती रही है।

उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण तत्समय जिस विधि से काबिज हुए उस विधि अथवा उसमें रही किसी त्रुटि सुधार की कार्यवाही के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्यों के जरिये अदालत में अपनी दलील को साबित करने में विफल रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता हो, कि प्रकरण की विधिक कार्यवाही अथवा उसकी सुनवाई इस न्यायालय में किये जाने योग्य हो। ऐसी स्थिति में इस आवेदन की कार्यवाही इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार में निहित नहीं है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन तथ्यहीन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी इस्तदुआ के अनुरूप सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
गिणधरी